

**उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी जिला वाराणसी (राज.)**

अर्चना पत्र सं.	धारा अन्तर्गत	ग्राम	तहसील
75/21	212 RTA	कलमगंज	वाराणसी
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सुमनाज झा	बनाम	सुमनाज झा	

वकील :-

**आदेश पत्रक**

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
--------	--------------------	--------------

12/10/21

इतिहासकृत प्रतीक द्वारा अर्चना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध कजारी गण के नामा. से इस आदेश के पत्र किया गया कि उक्त कलमगंज तह. वारां के ख. सं. 1041 रकबा 0.84 हे. ख. नं. 1758 रकबा 1.09 हे. कुल किरा 2 रकबा 1.93 हे. खिन्ने खिन्ने से ख. सं. 1758 रकबा 1.09 हे. शर्त के मुताबिक 40 वर्ष पूर्व खानदान की मालिकता पर बंजरबाल जाई धाकड़ विवासी कलमगंज से जर्न विरुद्ध राजीस पत्र से खरीद की भी तब से प्रतीक बहाल उक्त आराखियां पर बहीविपन मालिक स्वामी काय काली माली आ रही है कजारी छ 173 अर प्रतीक के एक आराखी के गहिल सेने का फापर उठाकर जकरन रात्र काफर कहे पर आकाश है जबकि कजारी छ 173 के खोरे के केले का खोरे खोरे का रात्र बगली की गजाल के इफर से होकर आ रहा है कजारी गण राजनेहिक रफर्र बाले रफा लजारी जगड कहे पर उतासा रहे है प्रतीक अर कजारी गण को पावत कहे का विवेक किया है वकील प्रतीक को एक बला हुय गया पगावली एवं डिकार्ड का अनलोकन किया गया कजारी छ 173 को जर्न कस्कारी विपेधाया पावत किया जाय है कि डिकार्ड आराखी बाले उक्त कलमगंज तह. वारां की आराखी ख. सं. 1758 रकबा 1.09 हे. शर्त पर जकरन पेश होवे तब मोरे की प्रयासिदि काफे रखा प्रकरण दर्ज राखि किया जावे कजारी गण को जर्न लालक तखत किया जाकर पगावली डिनांक 16/11/21 को पेश है

16/11/21

भवासीन अधिकारी सुमनाज झा के नाम से रहने से पूर्ववत दिनांक 28/10/21 को प्रस्तुत की.

14  
सिद्ध

उपखण्ड अधिकारी वारां

कार्यवाही एवं आदेश

विविध संदर्भ

9-6-25

~~पत्रावली आज पत्रा हूँ। वही प्रती एवं वही  
 प्रती उपर नहीं। वही प्रती एवं वही प्रती  
 ही न का आवाज लगावा है। काय प्रती का  
 वही प्रती एवं वही प्रती न्यायालय  
 के उपर नहीं। अतः प्रती का प्रतीना पत्र उपर  
 आज ही उपर पत्रों के वही प्रती का  
 पत्रावली के पत्रावली प्रती ही न बाद वही प्रती  
 वही प्रती के वही प्रती प्रती ही न~~